

**बिहार सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**  
**कार्यालय आदेश**

का०आ०सं०-भवन/स्था०-पी०-३-पदस्थापन-०१/०२(अंश).....८०...../ पटना, दिनांक:-

6/4/16

सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना संख्या-1001 दिनांक-20.01.2016 एवं संख्या-1519 दिनांक-31.01.2016 द्वारा क्रमशः श्री उमेश कुमार, भा०प्र०से० को संयुक्त सचिव एवं श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह को विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप भवन निर्माण विभाग के कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय पदाधिकारियों के बीच कार्यों का आवंटन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- (क) विशेष सचिव:-लेखा, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, विधि, समन्वय एवं जन-शिकायत।  
(ख) संयुक्त सचिव:-बजट, अराजपत्रित एवं राजपत्रित स्थापना, निगरानी एवं भू-सम्पदा।  
(ग) विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह):-बजट, समन्वय एवं जन-शिकायत।  
(घ) विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री शिव शंकर पासवान):-राजपत्रित स्थापना एवं निगरानी।

2. तद्आलोक में कार्य निष्पादन हेतु संचिका का उपस्थापन निम्नरूपेण किया जायेगा:-

क्र०सं०	विषय/कार्य का स्वरूप	निष्पादन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी
1	2	3
1.	राजपत्रित प्रशाखा	विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री शिवशंकर पासवान)/संयुक्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
2.	अराजपत्रित प्रशाखा	अवर सचिव-3/उप सचिव/ संयुक्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
3.	बजट	विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)/संयुक्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
4.	विधि	उप सचिव/विशेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
5.	निगरानी	अवर सचिव-4/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री शिवशंकर पासवान)/संयुक्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
6.	सूचना का अधिकार	अवर सचिव-4/विशेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
7.	जन-शिकायत	अवर सचिव-4/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)/विशेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
8.	समन्वय	अवर सचिव-1/विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)/विशेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
9.	योजना का अनुश्रवण	निदेशक, अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख/सचिव/प्रधान सचिव।
10.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	अवर सचिव-1/विशेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
11.	भू-सम्पदा	भू-सम्पदा पदाधिकारी/संयुक्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव।
12.	वास्तुविद् संगठन	वरीय वास्तुविद्/अभियंता प्रमुख/सचिव/प्रधान सचिव।

3. संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी अपनी-अपनी प्रशाखा से संबंधित संचिकाएँ उक्तरीति से वरीय पदाधिकारियों को विहित माध्यम से उपस्थापित करेंगे।

4. नये ढँग से कार्य आवंटन के फलस्वरूप पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6.4.16

(उमेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक:- 3390(ग)

पटना, दिनांक:- 6/4/16

प्रतिलिपि- माननीय उप मुख्य (भवन) मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-उपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग; बिहार, पटना/वरीय वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.4.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

6/4/16